बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0–8बी / विविध–अरा0 आ0 नि0–56 / 2022 3480 / – श्री रतन प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत उच्चवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, मोहनियाँ (कैमूर) द्वारा अवर निबंधन कार्यालय, मोहनियाँ (कैमूर) के पदस्थापन अवधि (2021) में दस्तावेज सं0–1648 / 2020 एवं 4915 / 2020 के निबंधन के क्रम में किये गये स्थल जाँच में भूमि की गलत श्रेणी प्रतिवेदित किये जाने के कारण सरकारी राजस्व की क्षति एवं क्रेता को निजी लाभ पहुँचाने के आरोप के आलोक में संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में विभागीय आदेश संख्या–3803 दिनांक–29.07.2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 बी0 के प्रावधानों के तहत आदेश निर्गत की तिथि से 05 (पाँच) वर्षों तक 10 (दस) प्रतिशत पेंशन कटौती का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया। तदोपरांत उनके अपीलीय आवेदन पर विचार करते हुए विभागीय आदेश संख्या–5174 दिनांक–30.09.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–27(2)(ख) के तहत् अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया।

2. श्री रतन प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत उच्चवर्गीय लिपिक द्वारा उक्त दंडादेश को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लु0जे0सी0 सं0–16541 / 2022 श्री रतन प्रसाद श्रीवास्तव बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य वाद दायर किया गया है, जिसमें दिनांक–09.02.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

27. Accordingly, I come to the conclusion that the orders passed by the disciplinary authority as well as the appellate authority are not sustainable and deserve to be set aside. Accordingly, the impugned order contained in Memo No. 3803 dated 29.07.2022 passed by the I.G Registration, Department of Prohibition Excise and Registration. Government of Bihar, Patna by which the petitioner has been inflicted with punishment of deduction of 10% of pension for a period of 5 years as well as the appellate order contained in memo No. 5174 dated 30.09.2022 passed by the Additional Chief Secretary- cum-Appellate Authority, Department of Excise Prohibition and Registration, Bihar, Patna are set aside.

28. The respondent authorities are directed to return/pay the amount recovered from the pension of the petitioner forthwith and restore the pension of the petitioner which he was entitled, prior to passing of the impugned orders.

3. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध एल0पी0ए0 दायर किये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"No ground for filing LPA is made out."

अतः महाधिवक्ता, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त परामर्श के आलोक में सी0डब्लु0जे0सी0 सं0–16541 / 2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–09.02.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति को देखते हुए विभागीय आदेश सं0–3803 दिनांक–29.07.2022 द्वारा श्री रतन प्रसाद श्रीवास्तव के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 बी0 के तहत् आदेश निर्गत की तिथि से 05 (पाँच) वर्षों तक 10 (दस) प्रतिशत पेंशन कटौती के अधिरोपित एवं संसूचित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 8बी / विविध–अरा0 आ0 नि0–56 / 2022-3480 /– पटना, दिनांक– 09.06.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव / महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना / समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, कैमूर / डॉ0 संजय कुमार, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना / सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना / जिला अवर निबंधक, कैमूर / अवर निबंधक, मोहनियाँ (कैमूर) / जिला कोषागार पदाधिकारी, कैमूर / प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06 / आई0टी0 मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / श्री रतन प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत उच्चवर्गीय लिपिक, पिता–स्व0 बनारसी लाल, मोहल्ला–गजराठ, गौरक्षणी, वार्ड नं0–04, गली–4ए, सासाराम, रोहतास–821115, मो0–9931427927 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव।

9/6/26